

## अध्याय – II

# योजना एवं बजटीकरण

### 2.1 निर्माण गतिविधियों की योजना

सी.ए.पी.एफ. में निर्माण हेतु योजना में कार्य के निम्नलिखित दो स्ट्रीम शामिल हैं:

- (i) एम.एच.ए. के युद्धनीतिक निर्णयों के भाग के रूप में प्रस्तुत नई बटालियनों/सेक्टरों का निर्माण
- (ii) नियमित निर्माण कार्य जो नए निर्माण अथवा बड़ी मरम्मत हो सकती है।


एम.एच.ए. सुरक्षा आवश्यकताओं तथा विभिन्न सुरक्षा एवं खुफिया अभिकरणों से प्राप्त सूचनाओं के विश्लेषण के पश्चात सीमा की सुरक्षा कर रहे बलों तथा एन.एस.जी.. की बटालियनों को बढ़ाने का निर्णय करता है। सी.आई.एस.एफ. के सिवाय अन्य सी.ए.पी.एफ. हेतु एम.एच.ए. समय-समय पर संख्या की समीक्षा करता है तथा तदनुसार उनकी प्रशासनिक आवश्यकताओं के अनुसार बटालियनों, सेक्टर, फ्रंटीयर कार्यालयों आदि जैसी इकाईयों की संख्या बढ़ाता है। सी.आई.एस.एफ. में इकाईयों को पी.एस.यू. आदि जैसी स्थापनाओं, जिनके लिए सी.आई.एस.एफ. इकाईयों को तैनात करने का निर्णय लेता है, की सुरक्षा आवश्यकताओं के अनुसार बढ़ायी जाती है। कार्यालय बिल्डिंगों तथा आवासीय बिल्डिंगों की आवश्यकता तब होती है जब बटालियनों तथा अन्य कार्यालयों को एम.एच.ए. द्वारा संस्वीकृत किया गया हो। 2008-09 से 2013-14 की अवधि के दौरान एम.एच.ए. ने सी.ए.पी.एफ. में निम्नलिखित इकाईयों की स्थापना को संस्वीकृत किया:

**तालिका -2.1: लेखापरीक्षा अवधि के दौरान सी.ए.पी.एफ. में संस्वीकृत तथा बढ़ाए जाने वाली इकाईयों के ब्यौरे**

बल का नाम	डी.जी. कार्यालय		डी.आई.जी. कार्यालय		बटालियन	
	संस्वीकृत	बढ़ाए गए	संस्वीकृत	बढ़ाए गए	संस्वीकृत	बढ़ाए गए
ए.आर.	1	1	3	3	5	5
बी.एस.एफ.	3	3	7	7	29	29
सी.आई.एस.एफ.	0	0	0	0	4	0
सी.आर.पी.एफ.	6	6	4	4	31	31
आई.टी.बी.पी.	1	1	4	4	16	16
एन.एस.जी.	4 हब	4 हब	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.
एस.एस.बी.	3	2	9	7	32	26
<b>कुल</b>	<b>14+(4 हब)</b>	<b>13+(4 हब)</b>	<b>27</b>	<b>25</b>	<b>117</b>	<b>107</b>

ऊपर वर्णित सूचनाओं से, बल एक परिप्रेक्ष्य पंचवर्षीय निर्माण योजना तैयार करते हैं। प्रत्येक सी.ए.पी.एफ. के महानिदेशक (डी.जी.) की स्वीकृति के पश्चात् इन्हें एम.एच.ए. को प्रेषित किया जाता है। यह योजनाएं अंतिम रूप रेखा हैं जिसके आधार पर सी.ए.पी.एफ. द्वारा प्रत्येक वर्ष हेतु बजटीय आवश्यकता तैयार की जाती है। 12वीं पंचवर्षीय योजनागत कार्यों को बलों द्वारा 2011-12 में एम.एच.ए. को प्रस्तुत किया गया था। 2010-11 तक एम.एच.ए. ने सी.ए.पी.एफ. को निर्माण कार्यों हेतु बजट का दोनों योजनागत तथा गैर-योजनागत शीर्षों के अंतर्गत आबंटन किया था। तथापि, 2011-12 से एम.एच.ए. ने सी.ए.पी.एफ. को निर्माण गतिविधियों हेतु बजट का केवल योजनागत शीर्ष के अंतर्गत आबंटन करना प्रारम्भ कर दिया था। 11वीं तथा 12वीं पंचवर्षीय योजना की स्थिति नीचे दर्शाई गई के अनुसार है:

**चार्ट-2.1: 11वीं तथा 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान निर्माण कार्यों का बजट तथा व्यय**



12वीं पंचवर्षीय योजना - व्यय आंकड़े को 2013-14 तक दर्शाया गया है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि सी.ए.पी.एफ. की बिल्डिंगों तथा अन्य सम्बद्ध अवसंरचनाओं के विकास हेतु एक निर्धारित नियोजित प्रणाली थी। सभी सी.ए.पी.एफ. ने निर्माण गतिविधियों हेतु पंचवर्षीय योजनाएं तैयार की थी तथा 2008-09 से 2013-14 की लेखापरीक्षा अवधि के दौरान उनकी अनुपालना की।


## 2.2 कार्यालय एवं आवासीय बिल्डिंगों की आवश्यकता तथा उपलब्धता

कार्यालयों तथा आवासीय बिल्डिंगों की आवश्यकता सी.ए.पी.एफ. के आभियंत्रिकी स्कंद्ध द्वारा निर्धारित की जाती है जो फील्ड से सूचनाओं अथवा नई इकाईयों हेतु जैसा एम.एच.ए. द्वारा निर्णय पर आधारित होती है। यह संस्वीकृत बल तथा कार्यालयों एवं मकानों के लिए स्थान की आवश्यकता पर आधारित है। लेखापरीक्षा ने 31.3.2014 को

कार्यालय तथा आवासीय बिल्डिंगों की आवश्यकता, जैसा अनुवर्ती पैराग्राफों में स्पष्ट किया गया है; पर सी.ए.पी.एफ. तथा एम.एच.ए. से प्राप्त डाटा का विश्लेषण किया गया था।

### 2.2.1 कार्यालय बिल्डिंगों की आवश्यकता तथा उपलब्धता

चार्ट -2.2: सी.ए.पी.एफ. में कार्यालय बिल्डिंगों की स्थिति




अध्याय - II : योजना एवं बजटीकरण

यह डाटा सी.ए.पी.एफ. में निर्माण कार्यों की योजना का आधार बनता है जो पंचवर्षीय योजनाओं तथा वार्षिक बजटीय आवश्यकता में परिणत होता है। यह पाया गया था कि 5113 कार्यालय बिल्डिंगों की आवश्यकता के प्रति केवल 2041 उपलब्ध थीं। सी.ए.पी.एफ. में कार्यालय बिल्डिंगों की आवश्यकता तथा उपलब्धता में बड़ा अंतर था जो मार्च 2014 को ऊपर बताई गई स्थिति से सुस्पष्ट है। लेखापरीक्षा ने अनुभव किया कि इकाईयों तथा बटालियनों को बढ़ाने को संस्वीकृत करते समय कार्यालय तथा आवासीय बिल्डिंगों के निर्माण हेतु पर्याप्त संस्वीकृतियों को जोड़ा नहीं गया था। कमी, जो उपयुक्त कार्यालय बिल्डिंगों तथा कार्य करने का वातावरण प्रदान करने में एस.एस.बी. के मामले में अधिक सुस्पष्ट थी, बल्लों के कार्य करने में बाधा डालेगी।

## 2.2.2 आवासीय बिल्डिंगों की आवश्यकता तथा उपलब्धता

सी.ए.पी.एफ. कार्मिकों हेतु आवासीय सुविधाओं के प्रावधान का बलों के मनोबल पर एक महत्वपूर्ण भार है क्योंकि वह दूरवर्ती क्षेत्रों में लम्बे समय तक कार्य करते हैं तथा टैटों एवं बैरकों में रहते हैं। 2008-09 की अवधि के दौरान सी.ए.पी.एफ. की वर्ष-वार प्राधिकृत तथा उपलब्ध आवासीय इकाईयां निम्नानुसार थीं:


**चार्ट -2.3: सी.ए.पी.एफ. हेतु वर्ष-वार प्राधिकृत तथा उपलब्ध आवासीय इकाईयाँ (लाख में)**



उपरोक्त से यह सुस्पष्ट था कि सी.ए.पी.एफ. की प्राधिकृत आवासीय इकाईयों में 2008-09 से 2013-14 के दौरान 2.35 लाख से 2.99 लाख तक वृद्धि हुई परंतु सी.ए.पी.एफ. हेतु उपलब्ध आवासीय इकाईयों में उपरोक्त अवधि के दौरान केवल 1.12 लाख से 1.54 लाख तक बढ़ी। सी.ए.पी.एफ. हेतु आवासीय इकाईयों में कमी 1.23 लाख से 1.45 लाख के बीच थी जो सी.ए.पी.एफ. हेतु आवासीय इकाईयों के प्राधिकरण तथा उपलब्धता के बीच किसी तुल्यकालन को नहीं दर्शाती थी।


2013-14 के दौरान आवासीय स्थानों के प्राधिकरण तथा उपलब्धता की बल-वार स्थिति नीचे दर्शाई गई के अनुसार थी:

### चार्ट-2.4 : प्राधिकृत एवं उपलब्ध आवासीय इकाईयों की वर्ष-वार स्थिति



मार्च 2014 को सी.ए.पी.एफ. कार्मिकों हेतु प्राधिकृत की तुलना में उपलब्ध आवासीय इकाईयों का 50 प्रतिशत से अधिक होने से, विशेष रूप से एस.एस.बी., बी.एस.एफ. तथा आई.टी.बी.पी. हेतु, बल-वार स्थिति बड़ा अंतर दर्शाती है।

### चार्ट-2.5 : आवासीय इकाईयों की कमी प्रतिशत में




12.4 प्रतिशत की न्यूनतम कमी सी.आई.एस.एफ. के मामले में थी क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र इकाईयों (सा.क्षे.इ.) में तैनात सी.आई.एस.एफ. टुकड़ियों हेतु आवास स्थान ग्राहक सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (सा.क्षे.उ.) द्वारा प्रदान किया जाना था। उपर्युक्त स्थिति ने दर्शाया कि एम.एच.ए. सी.ए.पी.एफ. कार्मिकों हेतु प्राधिकृत आवासीय स्थान (अर्थात् एम.एच.ए. द्वारा संस्वीकृत) भी प्रदान करने में समर्थ नहीं था।

### 2.2.2.1 सी.ए.पी.एफ. में आवास संतुष्टि स्तर

सी.ए.पी.एफ. हेतु संस्वीकृत बल तथा उपलब्ध आवासीय इकाईयों के संबंध में संतुष्टि स्तर 2010-11 तक 14 प्रतिशत था। राष्ट्रीय सुरक्षा प्रणाली के सुधार पर मंत्रियों के समूह ने 2010-11 के दौरान सी.ए.पी.एफ. में अन्य पदों हेतु संतुष्टि स्तर को 14 प्रतिशत से 25 प्रतिशत तक बढ़ाने की सिफारिश की थी।

एम.एच.ए. के अभिलेखों की लेखापरीक्षा जॉच ने प्रकट किया कि सी.ए.पी.एफ. में संतुष्टि स्तर को एम.एच.ए. द्वारा प्रत्येक बल में संस्वीकृत संख्या तथा आवासीय इकाईयों की उपलब्धता के आधार पर परिकलित किया गया था। 2013-14 के दौरान संस्वीकृत संख्या तथा आवासीय स्थानों की उपलब्धता के अनुसार बल-वार आवश्यकता की स्थिति निम्नानुसार थी:

**चार्ट - 2.6: आवासीय इकाईयों की आवश्यकता तथा उपलब्धता की बल-वार स्थिति**



प्रत्येक बल में संस्वीकृत संख्या तथा आवासीय इकाईयों की उपलब्धता के अनुसार आवश्यकता के आधार पर मार्च 2014 को संतुष्टि स्तर परिकलित किया गया तथा नीचे दर्शाया गया है:

**चार्ट-2.7: सी.ए.पी.एफ. में आवासीय स्थान का संतुष्टि स्तर**



\* उपरोक्त डाटा अधिकारियों तथा अन्य पदों के बीच बिना अंतर के समग्र रूप में बलों से संबंधित है।


लेखापरीक्षा ने पाया कि सी.ए.पी.एफ. में आवासीय स्थान प्रदान करने में संतुष्टि स्तर निम्न था जो मार्च 2014 को 2.96 प्रतिशत से 22.48 प्रतिशत के बीच था। ए.आर. तथा एन.एस.जी. में संतुष्टि स्तर अधिक था जबकि सी.आई.एस.एफ. में यह अधिकतम था। यह इस तथ्य के कारण था कि सार्वजनिक क्षेत्र इकाईयों (पी.एस.यू.) में तैनात सी.आई.एस.एफ. इकाईयों हेतु आवास पी.एस.यू. द्वारा प्रदान किया जाना था तथा पी.एस.यू. आमतौर पर आवास प्रदान करने में समर्थ थीं। यह पाया गया था कि सी.आई.एस.एफ. की गैर-पी.एस.यू. इकाईयों हेतु संतुष्टि स्तर 13.61 प्रतिशत था क्योंकि इन इकाईयों हेतु आवास प्रदान करने का उत्तरदायित्व सी.आई.एस.एफ. तथा एम.एच.ए. का रहता है। शेष बलों में, संतुष्टि स्तर की स्थिति निम्न थी। एम.एच.ए. में अन्य पदों में संतुष्टि स्तर को सत्यापित करने हेतु, जैसे मंत्रियों के समूह द्वारा सिफारिश की गई थी, ब्यौरे उपलब्ध नहीं थे क्योंकि डाटा अनुरक्षण अधिकारियों तथा अन्य पदों के बीच बिना किसी अंतर के किया गया था।

इस प्रकार, यह सुस्पष्ट था कि आवासीय इकाईयों की तुलना में प्राधिकृत आवासीय इकाईयों सी.ए.पी.एफ. में संस्वीकृत संख्या में वृद्धि के साथ बराबरी नहीं रख सकी थी।

### 2.3 बजटीकरण

एम.एच.ए. सभी बलों की कुल आवश्यकता को संकलित करता है तथा फिर उसे वित्त मंत्रालय को प्रस्तुत करता है जो एम.एच.ए. को बजट का आवंटन करता है जो बदले में उपलब्धता के अनुसार सी.ए.पी.एफ. में इसका संवितरण करता है। इस प्रकार सी.ए.पी.एफ. उनके पास बजट की उपलब्धता के अनुसार निर्माण कार्यों को प्राथमिकता देते हैं। 2008-09 से 2013-14 के दौरान मुख्य निर्माण कार्यों के अंतर्गत बल-वार बजट तथा व्यय को अनुबंध 1.1 में प्रस्तुत किया गया है। लेखापरीक्षा अवधि के दौरान मुख्य निर्माण कार्यों के बजट तथा व्यय का ब्यौरा निम्नानुसार है:

**चार्ट - 2.8: भूमि अधिग्रहण मामलों सहित मुख्य निर्माण कार्यों हेतु संशोधित बजट तथा व्यय**




उपर्युक्त व्यय सी.ए.पी.एफ. द्वारा 2008-09 से 2013-14 के दौरान मुख्य रूप से भूमि अधिग्रहण तथा निर्माण कार्यों पर किया गया था। 2008-09 से 2013-14 की अवधि के लिए सी.ए.पी.एफ. द्वारा भूमि अधिग्रहण मामलों सहित मुख्य निर्माण कार्यों पर कुल व्यय ₹12043.90 करोड़ था। जब बजटीय प्रतिबंध थे तो बलों को अति आवश्यक कार्यों हेतु उपलब्ध संसाधनों का आबंटन किया गया था। लेखापरीक्षा ने पाया कि आवश्यकता तथा आबंटित बजट के बीच अंतर सामान्य रूप से वित्त मंत्रालय द्वारा लगाई गई आम कटौती का परिणाम था।

## 2.4 निर्माण गतिविधियों हेतु स्वीकृति प्रक्रिया

नई स्थापनाओं हेतु निर्माण कार्यों की प्रक्रिया बटालियनों/सेक्टर कार्यालय की स्वीकृति से आरम्भ होती है जैसा नीचे ब्यौरा दिया गया है:

**चार्ट -2.9: निर्माण कार्यों हेतु संस्वीकृति प्रक्रिया के ब्यौरे**




## 2.5 कार्यकारी अभिकरण का चयन

आवश्यक स्वीकृतियों के पश्चात, कार्यकारी अभिकरण के चयन के साथ निर्माण कार्य प्रारम्भ होता है। कार्यकारी अभिकरण प्रारम्भिक अनुमान तैयार करती है जिसके आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति तथा व्यय संस्वीकृति प्रदान की जाती है। सी.ए.पी.एफ. से प्रशासनिक स्वीकृति के पश्चात कार्यकारी अभिकरण निविदा प्रक्रिया के माध्यम से योग्य ठेकेदार को कार्य प्रदान करते हैं तथा उनसे कार्य करवाते हैं।

जी.एफ.आर. का नियम 126 (2) बताता है कि एक मंत्रालय अथवा विभाग अपने स्वनिर्णय पर किसी भी मूल्य के मूल निर्माण कार्यों को किसी भी लोक निर्माण संगठनों जैसे कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (सी.पी.डब्ल्यू.डी.), राज्य लोक निर्माण प्रभागों अथवा अन्य केन्द्रीय सरकारी संगठन जो सिविल अथवा इलेक्ट्रिक कार्यों को करने हेतु प्राधिकृत हैं जैसे कि मिलीट्री इंजीनियरिंग सर्विस (एम.ई.एस.), सीमा सङ्क संगठन (बी.आर.ओ.), सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम अथवा अन्य केन्द्रीय/राज्य सरकारी संगठन पी.एस.यू. जिन्हें शहरी विकास मंत्रालय द्वारा उनकी वित्तीय क्षमता तथा तकनीकी योग्यता के मूल्यांकन के पश्चात अधिसूचित किया गया है को सौंप सकता है। नियम 126(3) बताता है कि एक मंत्रालय अथवा विभाग शहरी विकास मंत्रालय के साथ परामर्श के पश्चात पी.डब्ल्यू.ओ. जैसा नियम 126(2) में परिभाषित है, के अलावा एक सुविख्यात तथा तकनीकी रूप से योग्य संगठन के माध्यम से भी निर्माण कार्य को निष्पादित कर सकता है।

लेखापरीक्षा हेतु नमूना किए गए 710 निर्माण कार्यों में से निर्माण कार्यों के कार्यकारी अभिकरण-वार चयन को नीचे दर्शाया गया है:

**चार्ट -2.10: कार्यकारी अभिकरण वार चयनित निर्माण कार्य**



अन्य \*: डी.एम.आर.सी.-।, जे.के.पी.सी.सी.-।, ई.सी.बी.-।, यू.पी.जे.एन.-6

अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा ने प्रकट किया कि सी.पी.डब्ल्यू.डी. का एक सरकारी अभिकरण होने से नित्यक्रम के मामले के रूप में कार्यकारी अभिकरण के रूप में चयन किया गया था। अन्य पी.डब्ल्यू.ओ. जब चुने गए, का चयन नामांकन आधार पर किया गया था। असम राईफल्स (ए.आर.), जिसने सी.पी.डब्ल्यू.डी. के अलावा पी.डब्ल्यू.ओ. को

अपने सभी निर्माण कार्य सौंपे थे, के मामले को छोड़कर इन कार्यकारी अभिकरणों के चयन के संबंध में अभिलेख पर कोई कारण अथवा चयन मापदण्ड नहीं पाया गया था। इन पी.डब्ल्यू.ओ. को कार्य सौंपते समय ए.आर. द्वारा बताया गया मुख्य कारण सी.पी.डब्ल्यू.डी द्वारा निर्माण कार्यों के समापन में विलम्ब जिसका परिणाम लागत वृद्धि में होता है, था।

लेखापरीक्षा का तर्क है कि अपरिवर्तनीय प्रारम्भिक बिन्दु के रूप में सी.पी.डब्ल्यू.डी. पर अधिभावी निर्भरता की वर्तमान प्रणाली तथा गैर-सी.पी.डब्ल्यू.डी. कार्यकारी अभिकरणों द्वारा भी उनकी दरों की सूची का उपयोग दक्षता हेतु अनुकूल नहीं था। जब तक सामरिक महत्वों द्वारा प्रेरित नहीं किया गया था तब तक कोई कारण नहीं था कि लोक धन का उत्तम उपयोगिता प्राप्त करने हेतु अधिक प्रतियोगितात्मक वातावरण स्थापित नहीं किया जा सका था। सरकार को केवल नामांकन आधार पर कार्य सौंपने की बजाए उपयुक्त प्रशासनिक परिवर्तनों के माध्यम से पी.डब्ल्यू.ओ. के बीच कुछ प्रतियोगिता लाने पर विचार करना चाहिए।

एम.एच.ए. ने यह बताते हुए अभ्युक्ति को स्वीकार किया (जुलाई 2015) कि जी.एफ.आर. 126(2) अन्य बातों के साथ-साथ प्रावधान करता है कि मंत्रालय अथवा विभाग, अपने स्वनिर्णय पर, किसी भी लोक निर्माण संगठन, जैसे कि सी.पी.डब्ल्यू.डी., राज्य लोक निर्माण प्रभाग, सिविल अथवा इलेक्ट्रिक कार्य करने हेतु प्राधिकृत अन्य केन्द्रीय सरकारी संगठनों, को निर्माण कार्य सौंप सकता है। उसने बाद में बताया कि मंत्रालय उनके चयन की प्रक्रिया को आगे सरल और कारगर बनाने हेतु जी.एफ.आर. योग्य पी.डब्ल्यू.ओ./पी.एस.यू. को कर्य सौंपने के मामले की जांच कर रहा है।

### 2.5.1 कार्यकारी अभिकरण द्वारा व्यय

सी.ए.पी.एफ. निर्माण कार्य हेतु प्रशासनिक स्वीकृति तथा व्यय संस्वीकृति के पश्चात सी.पी.डब्ल्यू.डी. को प्राधिकरण प्रदान करता है। प्राधिकरण सी.पी.डब्ल्यू.डी. द्वारा सी.ए.पी.एफ को प्रस्तुत आवश्यकता के अनुसार प्रदान किए जाते हैं। यह पाया गया था कि सी.ए.पी.एफ. सी.पी.डब्ल्यू.डी. को निधियां प्रदान करने में इस प्रकार के मापदण्ड का अनुपालन नहीं कर रहा था। सी.आर.पी.एफ.

#### अच्छा कार्य

सी.आर.पी.एफ. ने सी.पी.डब्ल्यू.डी को प्राधिकरण प्रदान करने से पूर्व निर्माण कार्य की स्थिति तथा अनुवर्ती वर्ष हेतु उनकी कार्य-वार आवश्यकता की जांच की। कार्य-वार आवश्यकता के आधार पर सी.आर.पी.एफ. ने निधियों का आबंटन किया तथा तदनुसार वर्ष की समाप्ति पर सी.पी.डब्ल्यू.डी. से कार्य-वार व्यय विवरणियां प्राप्त की जो अच्छे बजट तथा निधि प्रबंधन का कारण बना।

को छोड़कर सी.ए.पी.एफ. ने सी.पी.डब्ल्यू.डी. को निर्माण प्रदान करते समय कार्य-वार आवश्यकता की जांच नहीं की थी। इसके अभाव में, एक विशेष निर्माण कार्य पर किए गए व्यय तथा बचत, यदि कोई है, के ब्यौरे सी.ए.पी.एफ. का पता नहीं थे। तथापि, सी.आर.पी.एफ. ने एक अलग प्रणाली को अपनाया जो अन्य बलों से काफी अच्छी थी।

### अनुशंसा:

एम.एच.ए./सरकार को निर्माण की लागत को कम करने तथा गुणवत्ता एवं निष्पादन को सुधारने हेतु पी.डब्ल्यू.ओ. के बीच प्रतियोगिता लाने के लिए पी.डब्ल्यू.ओ. के प्रचलन में प्रणाली को सुधारने पर विचार करना चाहिए।



अध्याय - II : योजना एवं बजटीकरण

### 2.5.2 व्यापक नियंत्रण तथा उत्तरदायित्व केन्द्र

एम.एच.ए., नोडल मंत्रालय होने से यह सुनिश्चित करने हेतु कि आबंटन बजट का सामयिक प्रकार से उसी उद्देश्य हेतु जिसके लिए यह संस्वीकृत किया गया था, मित्तव्ययी रूप तथा कुशलता से व्यय किया गया था, संपूर्ण मॉनीटरिंग हेतु उत्तरदायी है। एम.एच.ए. संबंधित सी.ए.पी.एफ. के माध्यम से सी.पी.डब्ल्यू.डी. तथा पी.डब्ल्यू.ओ. के साथ मॉनीटरिंग बैठकों द्वारा विलंबित निर्माण कार्यों को मॉनीटर करता है। यह पाया गया था कि निर्माण कार्यों के निष्पादन का मुख्य रूप से कार्यकारी अभिकरणों के उत्तरदायित्व होना माना गया था। यह पी.डब्ल्यू.डी. द्वारा निष्पादित निर्माण कार्यों में अधिक सुस्पष्ट था। सी.पी.डब्ल्यू.डी. के अलावा पी.डब्ल्यू.ओ. के माध्यम से निष्पादित निर्माण कार्य के संबंध में सी.ए.पी.एफ. द्वारा मानीटरिंग न्यूनतम तथा बेपरवाह थी। गलतियों की गणना करने हेतु कार्यकारी अभिकरण द्वारा प्रस्तुत बिलों की जांच ही केवल मानीटरिंग थी मानीटरिंग प्रणाली पर अध्याय-VI में विस्तार से चर्चा की गई है।

### 2.6 निष्कर्ष

यह देखा गया था कि बलों की आवश्यकता, दोनों कार्यालय तथा आवासीय स्थान हेतु, का पूरी तरह से निपटान नहीं किया गया था। निर्माण कार्यों हेतु कार्यकारी अभिकरण का चयन किसी भी मापदण्ड पर आधारित नहीं था तथा कार्यान्वयन अभिकरणों के बीच प्रतियोगिता की कमी थी। अपरिवर्तनीय प्रारम्भिक बिन्दु के रूप में, सी.पी.डब्ल्यू.डी. पर

अधिभावी निर्भरता की वर्तमान प्रणाली तथा गैर-सी.पी.डब्ल्यू.डी. कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा भी उनकी दरों की सूची का उपयोग दक्षता हेतु अनुकूल नहीं था। सरकार को केवल नामांकन आधार पर कार्य सौंपने के बजाए उपयुक्त प्रशासनिक परिवर्तनों के माध्यम से पी.डब्ल्यू.ओ. के बीच कुछ प्रतियोगिता लाने पर विचार करना चाहिए। सी.ए.पी.एफ. द्वारा निर्माण कार्यों के पर्यवेक्षण का लगभग अभाव एक स्पष्ट चित्र नहीं दर्शाता तथा इंजीनियरिंग स्कंध का अभाव एक वैध कारण नहीं था। बजटीय प्रणाली यद्यपि स्थापित थी, फिर भी विशेष रूप से भुगतानों को जारी करने के क्षेत्र में सुधार की आवश्यकता थी।